<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0),टाण्डा, अम्बेडकरनगर।</u>

मूलवाद सं0 226/07

सीएनआर नं0 यूपीएएन120000502007

रामदास––– बनाम–– इन्द्रावती आदि

दिनांक

<u>06.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 24क1 एवं 26ग2 हेतु पेश है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 24क1 एवं 26ग2 :–</u>

प्रार्थना पत्र 24क1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं02 का देहान्त दिनांक 18.09.2012 को हो गया है। जिनके जायज एवं विधिक वारिसान मृतक के लड़के रामदास है जिनका मृतक की समस्त चल अचल सम्पत्ति पर कब्जा व दखल है मृतक के स्थान पर वारिसों को कायम मुकाम बनाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त के प्रकाश में प्रतिवादी सं02 के नाम के आगे मृतक लिखने तथा परिणामिक संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 26ग2 अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 कायम मुकामी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने के बावत प्रस्तुत किया गया है।

कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं02 की मृत्यु हो चुकी है, मृतक/प्रतिवादी सं02 के जायज एवं विधिक वारिसान उनके लड़के रामदास है, जिनका मृतक की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर कब्जा व दखल है। जो पहले से पक्षकार मुकदमा है। कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रस्तुत संशोधन से उपरोक्त प्रकरण के प्रभावी न्याय निर्णयन में सुगमता होगी। न्यायहित में प्रार्थना पत्र 24क1 एवं 26ग2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 24क1 एवं 26ग2 स्वीकार किये जाते हैं। कायम मुकामी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हुए विलम्ब माफ किया जाता है। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। वादी प्रतिवादी सं02 के वारिसानों पर सम्मन की पैरवी करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 06.03.2021 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे0ओ0कोड नं0 यूपी2353